सं0-25/1216/62-2-2014-2/3(93)/2010

प्रेषक,

अनन्त कुमार सिंळ,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनउ- दिनांक- 15 मई,2014

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन की योजना (बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तालबों का सुदृढीकरण एवं पुर्नरूद्धार चेकडैमों का निर्माण तथा टयूबवेलों का पुर्नरूद्धार) (राज्य योजना) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 25 प्रतिशत की सीमा तक की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-387/ल0सिं0/बजट-ते0वि0आ0/2013-14, दिनांक 09-04-2014 व पत्र सं0- जी-399/ल0सिं0/बजट-ते0वि0आ0/2013-14, दिनांक 24-04-2014 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन 13वें वित्त आयोग के क्रियान्वयन की योजना (बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तालबों का सुदृढीकरण एवं पुर्नरूद्धार, चेकडैमों का निर्माण तथा टयूबवेलों का पुर्नरूद्धार) (राज्य योजना) में प्राविधानित धनराशि रू0-5000.00 लाख के सापेक्ष लेखा अनुदान के माध्यम से प्रथम चार माहों हेतु पारित बजट के सापेक्ष प्राविधानित धनराशि के 25 प्रतिशत की सीमा तक की धनराशि रू0-1250.00 लाख (रूपया बारह करोड़ पच्चास लाख मात्र) आपके निस्तारण पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन की योजना (बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तालबों का सुदृढीकरण एवं पुर्नरूद्धार चेकडैमों का निर्माण तथा

http://shasanadesh.up.nic.in

ट्यूबवेलों का पुर्नरूद्धार) पर व्यय हेतु है। स्वीकृत की जारी रही धनराशि का व्यय किसी अन्य योजना/मद में अनुमन्य नही होगा।

(2) धनराशि का व्यय इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन में निर्दिष्ट दिशा निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(5) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(6) प्रश्नगत योजना/परियोजना का क्रियान्वयन अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार ही किया जायेगा।

(7) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल पर ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि मे यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के समक्ष किए गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में उनके सम्मुख् अंकित तिथियों तक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को आगामी माह की 05 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायें जायें।

1-मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2-वर्ष 2014-15 के आवंटन का अंतिम लेखा	15-02-2015 तक

http://shasanadesh.up.nic.in

विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो

5-आवंटन का समर्पण 15-03-2015 तक

नोट:- दिनांक 15-03-2015 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नही किया जायेगा।

(9) तत्संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन **"लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-09-तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन-0901-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तालबों का सुदृढीकरण एवं पुर्नरूद्धार, चेकडैमों का निर्माण तथा टयूबवेलों का पुर्नरूद्धार-24-वृहद निर्माण कार्य"** के नामे डाला जायेगा।

(10) अवमुक्त धनराशि से आदर्श आचार संहिता के प्रवत्त रहने के दौरान किसी नये चेकडैम का कार्य प्रारम्भ नही कराया जायेगा। यह दायित्व संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का होगा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता में दिये गये निर्देशों का कढाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14-03-2014 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(अनन्त कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

सं0-1216(1)/62-2-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
4- संबंधित जिलाधिकारी।
5- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त् जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
6- संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिचाई विभाग।
7- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।

9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।

11- सहायक निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।

12- एन0आई0सी0 की प्रति।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in